रसोई गैस की कमी का पता लगाने हेतु मानदंड

1204. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस की कमी का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई मानदंड निर्धारित किया है,

(ख) वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को रसोई गैस की कमी होने की सूचना प्राप्त है, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू):

(क) किसी खास डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में एल पी जी रिफिल आपूर्तियों की कमी निम्नवत परिकलित की जाती है,

(1) डिस्ट्रीब्यूटर के पास लंबित रिफिल आर्डरों (बुकिंग) की कुल संख्या।

(2) 24 घंटों के अंतर्गत रिफिल आर्डर बुकिंग की संख्या

(3) दोहरे बाटल कनेक्शन ग्राहकों द्वारा बुक कराये रिफिल आर्डरों की संख्या

(4) रिफिल बकाया – (1) – (2+3)।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान रिपाइनरियों की आयोजित/अनायोजित बंदियों, कोई आर समस्याओं, सड़क संबंधी रुकावटों जैसे अनेक कारणों की वजह से देश के विभिन्न भागों में एल पी जी आपूर्ति के अंतर्गत बकाया के विषय में रिपोर्ट की गई है। यह बकाया वर्धित घंटों तथा छुट्टी के दिनों में भरण संयंत्रों के प्रचालन के माध्यम से एल पी जी की आपूर्ति बढ़ाकर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके पूरा किया जाता है।

Commitment charge on liquid fuel purchases

1205. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government propose to impose a commitment charge of Rs. 11.5 lakh per MW on private power producers to State owned oil companies against liquid fuel purchases i.e. naptha and furnace oil which are sourced in international market;

(b) whether this was challenged by Independent Power Producers and Government had agreed to drastically reduce it to Rs. 4.5 lakh per MW; and

(c) if so, the details of the agreement finally reached on this account?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) The public sector oil companies originally proposed to collect 50% of the capital involved for development of infrastructure to meet the liquid fuel requirement of the Independent Power Producers (IPPs) as commitment charge which is refundable along with interest, to ensure utilisation of the infrastructure by the IPPs.

(b) and (c) The Ministry of Power requested for considering a deposit of 1% of the capital cost of the project which would be about Rs. 3 lakhs per MW as commitment charge from the IPPs. Based on the feedback received from the Ministry of Power and the oil companies, the Ministry of Petroleum and Natural Gas have commitment charge of Rs. 5 lakhs per MW from all the IPPs, irrespective of locatioivfuel and the balance would be secured from the IPPs by way of an unconditional, irrevocable and on-demand bank guarantee of a scheduled

bank. It was accordingly incorporated in the model Fuel Agreement which has been circulated to all concerned.

Doubling of Shoriiur-Mangatapuram Railway line

1206. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how far the work on doubling the Shornur-Mangalapuram Railway line has progressed; and

(b) the reasons for delay; and how much quantum of money has been allotted for this particular work during this period?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) Work on Calicut-Hill-Elathur and Quilan-di-Tikkotti sections have been completed and commissioned.

(b) Due to constraints of resources. An expenditure of Rs. 29.74 crs.has been incurred on this work up to end of March '97.

The budget allocation from this work has been increased from Rs. 17.78 crs. to Rs. 50 crs. in 1997-98 to expedite the work.

चक्रधरपुर-रांची-खेलारी लाइन पर उपरिपुल

1207. **श्री ज्ञान रंजन**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में रांची-चाइवासा मार्ग पर चक्रधरपुर, रांची-खेलारी मार्ग पर खेलारी, रांची-टाटा एन. एच. 33 के मार्ग पर नामकुन और टाटा पुरूलिया एन.एच. 32 के मार्ग पर चांदिला में रेल ऊपरिपुल की अनुपब्धलता के कारण यातायात की आवाजाही में काफी मुश्किल होती है,

(ख) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय को बिहार के झारखंड क्षेत्र से हर वर्ष करोड़ों रुपये की आमदनी होती है,

(ग) यदि उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर "हां" में हैं तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर रेलवे लाइनों पर ऊपरिपुलों के निर्माण का विचार रखती है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (**श्री राम विलास पासवान**): (क) से (घ) रेलों द्वारा संसाधनों की उपलब्धता एंव राज्य द्वारा दिए जा रहे सहयोग के आधार पर व्यवस्त समपारों को एक कार्यक्रमबद्ध आधार पर ऊपरी सड़क पुल/निचले पुल से बदलने का प्रयार किये जाते हैं। भूमि अधिग्रहण , राज्य बजट में निधियों की व्यवस्था आदि जैसी कतिपय पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हुए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित प्रस्तावों के अनुसार क्षेत्र/राज्य सरकार पर ध्यान दिए बिना समपार पर यातायात धनत्व के आधार पर लागत में भागीदारी अथवा निक्षेप शर्तों पर समपार के बदले ऊपरी पुल/निचले सड़क पुल का निर्माण शूरु किया जाता है।

चक्रधरपुर, नामकुन, चांडिला और खेलारी में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के बारे में स्थिति निम्नासुरा है:-

(i) रांची-चाईवासा के मार्ग में चक्रधरपुर पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल एक स्वीकृत कार्य है। रेलवे के हिस्सा का कार्य तब तक शुरू किया जाएगा जब पुलों के लिए पहुंच मार्गों का कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा ताकि समरूपी प्रगति हो सके।

(ii) रांची-टाटा राष्ट्रीय मार्ग 33 पर नामकुन में कि.मी. 414/12 पर ऊपरी सड़क पुल के लिए अभी तक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं है।

(iii) टाटा-पुरूलिया के मार्ग में चांडिला और रांची-खेलारी के मार्ग में खेलारी के समपार न तो यातायात घनत्व की दृष्टि से लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल द्वारा बदलाव के लिए शर्तों को पूरी करते हैं और न ही इनके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव प्रायोजित किया है।

Deferred payment to Government of Maharashtra

1208. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how much amount is due to Maharashtra Government from Railways on account of deployment of state Police Force on Central Railway, Western Railway, South-Eastern Railway and South-Central Railway from 1980 onwards zone-wise and year-wise; and

(b) what are the reasons thereof and when the decision for such deferred payments will be taken?